न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 20 / 2021 (225 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021 / 30

उनवान

1. श्याम लाल
2. अमृतलाल
3. आशा
4. गुडडी

पिसरान भजन

समस्त जातियान हरीजन निवासीयान गणेश गेट बाहर हरीजन बस्ती करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र सुई उर्फ सुआराम जाति हरीजन निवासी गणेश गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली राज0।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री नवल किशोर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः 05.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड करौली जिला करौली में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र 28 / 2008 बउनवान भजन बनाम रमेश में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंब 6901 रकबा 17 बिस्वा खसरा 6902 कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा कस्बा करौली प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के पिता सुई उर्फ सुआराम पुत्र काना जाति हरिजन निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

करौली के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही जिसकी खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 में खातेदारी इन्द्राज प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के पिता सुई के हक मे रहे है। सुई की मृत्युपरांत अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा लिया जबकि उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का समान हिस्सा बनता है। अतः अनुतोष चाहा गया कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्राथीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 01 की आरे से जवाब प्रार्थना पत्र मे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 उक्त विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है प्रार्थी का उक्त विवादित आराजीयात पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। मातहत अदालत ने दिनांक 29.01.2023 को उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 01 रमेश चंद खास भाई है और विवादित आराजीयात उनके पिता सुई उर्फ सुआराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिसकी विरासत सुई उर्फ सुआराम की मृत्यु के पश्चात् गलत तरीके से एक मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रमेशचंद के नाम दर्ज हुई है। इस तथ्य पर गौर फरमाये बिना ही मातहत अदालत ने अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन के बिंदु को नजरअंदाज किया है जबकि विधि अनुसार निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे उक्त बिंदुओं को निर्णित किया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है यदि दौराने दावा रेस्पोडेन्ट को पाबंद नही किया गया तो रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी को खुर्द बुर्द कर देगा जिससे अपीलांटस् को भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी और अपीलांटस् का दावा करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 29.01.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने गलत तौर पर विधि विरूद्व रूप से अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये बगैर ही सुई की मृत्यु हो जाने पर अनाधिकार तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रमेश के हक मे खातेदारी इन्द्राज कर दिये और रेस्पोडेन्ट रमेश ने रेस्पोडेन्ट नंबर 02 से मिलकर अकेले स्वयं के नाम खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 14.07.1971 बिना आधार व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विधि विरूद्व होने से प्रभावहीन व शून्य है। अतः मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.01.2021 निरस्त फरमावें, अपीलांट स्वीकार कर रेस्पोडेन्टस् को इस आशय से पाबन्द फरमाया जावें की खसरा नंबर 6901 व 6902 स्थित कस्बा करौली के 1/2 हिस्सा भूमि को हस्तान्तरण की किसी भी रीति नीति से हस्तान्तरण ना करे, एवं रिकार्ड व मौके की स्थिति मे कोई परिवर्तन ना तो स्वयं करे ना दीगर से करावे।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि सुआ की आराजीयात पर अपीलांटगण कभी भी काबिज काश्त नही रहे है। इस कारण अपीलांटगण किसी प्रकार के इन्द्राज कराने व घोषणा कराने का अधिकारी नही है। कानूनन एक रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2027–2030 वाके ग्राम करौली तहसील करौली के अनुसार खसरा नंवर 6901 व 6902 कुल किता 2 कुल रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि सुई पुत्र काना जाति हरीजन(भंगी) सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। नामान्तरकरण 1757 दिनांक 14.07.71 के अनुसार विरासत मे केवल सुई का एक मात्र वारिस रमेश अंकित किया गया है और तद्नुसार ही जमाबंदी संवत् 2060–2063 में वाके ग्राम करौली पटवार क्षेत्र करौली के आराजी खसरा नंबर 6901 व 6902 कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा में रमेश पुत्र सुई जाति भंगी सा0 देह खातेदार का अंकन है।

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 मे प्रार्थी सशपथ स्वयं को सुई का पुत्र व रमेश का भाई बताया है, परन्तु जवाब प्रार्थना पत्र मे रमेश द्वारा इस तथ्य का अंकन नही किया गया है। यह तथ्य तो मूल वाद मे निस्तारित होगा कि आवश्यक पक्षकार कौन–कौन है, क्या प्रार्थीगण द्वारा उनको आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है, और क्या बिना आवश्यक पक्षकार के दावा चलने योग्य नही है ? परन्तु यहां पर प्रश्न केवल विवादित आराजीयात के अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् है।

प्रथमः– प्रथम दृष्टया विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पैदाकर्ता सुई की है। अपीलांट भी सुई का पुत्र है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति मे सभी सन्तानों का जन्म से ही अधिकार निहित होता है, घोषणा करवाना तो एक कानूनी औपचारिकता है। यह तथ्य सही हो सकता है कि अपीलांट का भौतिक रूप से कब्जा नही हो, परन्तु पैतृक संपत्ति मे सभी पुत्र–पुत्रियों का संयुक्त खातेदार काबिज काश्त माने जाते है। इस प्रकार अदालत मातहत का यह विवेचना कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विवादित आराजीयात यह अपीलांट/प्रार्थी का कब्जा नही है, विधि के विपरीत है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय अपास्त योग्य है।

द्वितीयः—जब विषय पैतृक संपत्ति का हो तो अन्य वाद कारण पैदा न हो, इसलिए विवादित आराजीयात की "यथास्थिति" बनाये रखने का आदेश न्यायोचित है। इसी मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टांत **2018(1) आर.आर.टी. 156** मे निम्न प्रकार से किया गया है:—

"

सिविल प्रकिया संहिता, 1908—आदेश 39, नियम 01 व 02—अस्थायी निषेधाज्ञा—प्रार्थना—पत्र खारिज किया—उच्च न्यायालय ने आदेश अपास्त किया और अन्तरिम आदेश स्वीकार किया—कृषि भूमि का विवाद—वाद के निस्तारण तक यथावत स्थिति रखने का आदेश युक्तियुक्त है—निर्णित, आदेश न्यायोचित है। "

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है, मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली के मुकदमा नंबर 28/2008 बउनवान भजन बनाम रमेश में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्षकारान को विवादित आराजीयात (खसरा नंबर 6901 व 6902 कुल रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा) पर अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 05.07.2023 को सुनाया गया।

05/07/23

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner